पत्र संख्या : 7ब/2700–गैर यो० ज०सं०–08/2016......... 314

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 27-03-17

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01– मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में बजट मुख्य शीर्ष **2700–मुख्य सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700–मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**63.810**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये तीरसठ लाख एक्यासी हजार मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2016–2017 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 15526.33 लाख **(एक सौ पचपन करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ)
सहा॰ अभि॰

(मुक्ति साधन चौररिया)
उप सचिव (अभि॰)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक--170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।

9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।

15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 30 मार्च 2017** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 23/3

(सुखदेव सिंह,)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 314 रॉची, दिनांक :– 27-03-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसॉवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 23/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान **सचिव**

ज्ञापांक :– 314 रॉची, दिनांक :– 27-03-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज॰सं॰वि॰/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 23/3

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	**(सुखदेव सिंह)**
सहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	प्रधान सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

पत्रांक 314 दिनांक 27.3.17 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बॉध परियोजना

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2016–2017		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49N270001001020101	49N270001001020110	49N270001001020112	49N270001001020213	49N270001001020315	49N270001001020333	49N270001001020334	49N270001001020337	49N270001001020442	49N270001001020760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	योजना एवं मोनेटरिंग अंचल–2 राँची	पूर्व का आवंटन	107.500	0.000	0.300	1.000	1.100	0.200	0.125	0.000	0.300	0.000	**110.525**	
		अतिरिक्त आवंटन	**1.150**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.200**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1.350**	
		कुल आवंटन	108.650	0.000	0.300	1.000	1.300	0.200	0.125	0.000	0.300	0.000	**111.875**	
2	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–2 देवघर	पूर्व का आवंटन	104.000	0.000	0.000	1.200	0.800	0.100	0.100	0.000	1.200	0.100	**107.500**	
		अतिरिक्त आवंटन	**5.500**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**5.500**	
		कुल आवंटन	109.500	0.000	0.000	1.200	0.800	0.100	0.100	0.000	1.200	0.100	**113.000**	
3	केन्द्रीय भंडार एवं शिविर, प्रमंडल – चांडिल	पूर्व का आवंटन	245.000	0.000	0.000	0.600	0.500	0.100	0.900	0.250	0.000	0.100	**247.450**	
		अतिरिक्त आवंटन	**1.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.350**	**0.000**	**0.000**	**1.350**	
		कुल आवंटन	246.000	0.000	0.000	0.600	0.500	0.100	0.900	0.600	0.000	0.100	**248.800**	
4	खरकई बांध प्रमंडल सं0–2 ईचा चालियामा	पूर्व का आवंटन	151.000	0.000	0.000	0.400	0.600	0.000	0.475	0.000	1.500	2.500	**156.475**	
		अतिरिक्त आवंटन	**42.980**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**42.980**	
		कुल आवंटन	193.980	0.000	0.000	0.400	0.600	0.000	0.475	0.000	1.500	2.500	**199.455**	
5	गालूडीह दायां नहर प्रमंडल सं0–1, मुसाबनी शिविर गालूडीह	पूर्व का आवंटन	172.080	0.000	0.000	1.500	0.550	0.050	0.250	0.200	0.000	0.100	**174.730**	
		अतिरिक्त आवंटन	**2.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**2.000**	
		कुल आवंटन	174.080	0.000	0.000	1.500	0.550	0.050	0.250	0.200	0.000	0.100	**176.730**	
6	यांत्रिक प्रमंडल, ईचा चालियामा	पूर्व का आवंटन	203.610	0.000	0.000	0.660	0.400	0.050	0.525	0.400	1.100	0.100	**206.845**	
		अतिरिक्त आवंटन	**9.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**9.000**	
		कुल आवंटन	212.610	0.000	0.000	0.660	0.400	0.050	0.525	0.400	1.100	0.100	**215.845**	
7	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–3 मानगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	375.630	0.000	0.000	1.200	0.500	0.050	0.850	0.300	0.000	1.500	**380.030**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.500**	**0.500**	
		कुल आवंटन	375.630	0.000	0.000	1.200	0.500	0.050	0.850	0.300	0.000	2.000	**380.530**	
8	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–7 गालूडीह	पूर्व का आवंटन	376.320	0.000	0.000	0.820	0.400	0.050	0.950	0.150	0.000	0.250	**378.940**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.330**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.330**	
		कुल आवंटन	376.320	0.000	0.000	1.150	0.400	0.050	0.950	0.150	0.000	0.250	**379.270**	

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि0)

(सुखदेव सिंह) 23/3
प्रधान सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2016–2017		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन 49N270001001020101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया 49N270001001020110	एल0टी0सी0 49N270001001020112	देशीय यात्रा व्यय 49N270001001020213	कार्यालय व्यय 49N270001001020315	दूरभाष 49N270001001020333	वर्दी 49N270001001020334	विद्युत व्यय 49N270001001020337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49N270001001020442	विधि प्रभार 49N270001001020760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–10 घाटशिला	पूर्व का आवंटन	404.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.850	0.600	0.000	0.000	**406.150**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.100**	**0.200**	
		कुल आवंटन	404.000	0.000	0.000	0.200	0.600	0.000	0.850	0.600	0.000	0.100	**406.350**	
10	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–12 मानगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	400.340	0.700	0.000	0.500	0.600	0.100	1.075	0.250	0.000	1.170	**404.735**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.200**	**0.200**	
		कुल आवंटन	400.340	0.700	0.000	0.500	0.600	0.100	1.075	0.250	0.000	1.370	**404.935**	
11	विशेष भू–अर्जन पदा0 स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	208.450	0.000	0.100	0.600	0.550	0.150	0.300	0.200	0.500	0.300	**211.150**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.002**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.002**	
		कुल आवंटन	208.450	0.002	0.100	0.600	0.550	0.150	0.300	0.200	0.500	0.300	**211.152**	
12	विशेष भू–अर्जन पदा0–1 स्वर्ण रेखा परियोजना मानगो–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	360.000	0.000	0.000	0.500	0.400	0.000	0.250	0.300	0.600	0.600	**362.650**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.200**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.300**	
		कुल आवंटन	360.000	0.000	0.000	0.700	0.500	0.000	0.250	0.300	0.600	0.600	**362.950**	
13	विशेष भू–अर्जन पदा0–3 स्वर्ण रेखा परियोजना मानगो–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	309.630	0.002	0.000	0.600	0.600	0.100	0.250	0.000	0.300	0.200	**311.682**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**-0.002**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.002**	
		कुल आवंटन	309.630	0.000	0.000	0.600	0.600	0.100	0.250	0.000	0.300	0.200	**311.680**	
14	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल घाटशिला	पूर्व का आवंटन	365.000	0.000	0.000	0.300	0.500	0.100	0.600	0.400	0.000	0.500	**367.400**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.100**	
		कुल आवंटन	365.000	0.000	0.000	0.300	0.600	0.100	0.600	0.400	0.000	0.500	**367.500**	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		**61.630**	**0.000**	**0.000**	**0.530**	**0.500**	**0.000**	**0.000**	**0.350**	**0.000**	**0.800**	**63.810**	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रूपये तिरेसठ लाख एक्यासी हजार मात्र

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

314
27-03-17

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव
23/3/17